पंचायती राज महासंघ पंचायत प्रतिनिधियों का एक संयुक्त मंच हैं, जो प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था को सशक्त, सक्रिय, जवाबदेह एवं पारदर्शी बनाने के लिये प्रयासरत् है। वर्तमान में 25 जिलों के 40 ब्लाकों में लगभग 5000 निर्वाचित जन–प्रतिनिधि पंचायती राज महासंघ की सदस्यता ग्रहण कर कार्यरत् है।

हमारा ई-मेल : pancham.news@gmail.com

पंचम्

पंचायती राज महासंघ का समाचार-पत्र

प्रति,

.....
.....
.....

वर्ष : 8 अंक : 8 | भोपाल, अगस्त 2014 | RNI MP 2007/20746 | पृष्ठ : 8 | मूल्य 5 रूपए

पंचायत का हो यह सपना....

हर माता हो स्वस्थ, हर बच्चा रहे तंदुरूस्थ

पंचायत स्थानीय स्वशासन की सबसे महत्वपूर्ण इकाई है, जो 73 वें संविधान संशोधन के जरिये स्थापित की गई है। अतः वह पंचायत सबसे बेहतर मानी जा सकती है, जिसका अपना कोई सपना हो और सपने को पूरा करने के लिए वह लगातार प्रयास करें। इस दिशा में एक ऐसी पंचायत का सपना भी बुना जा सकता है, जिसमें सभी बच्चे और माताएं स्वस्थ्य हो और जहां बाल मृत्युदर, शिशु मृत्युदर मातृ मृत्युदर एवं कुपोषण शून्य हो।

पंचायत स्थानीय स्वशासन की सबसे महत्वपूर्ण इकाई है, जो 73 वें संविधान संशोधन के जरिये स्थापित की गई है। अतः वह पंचायत सबसे बेहतर मानी जा सकती है, जिसका अपना कोई सपना हो और सपने को पूरा करने के लिए वह लगातार प्रयास करें। इस दिशा में एक ऐसी पंचायत का सपना भी बुना जा सकता है, जिसमें सभी बच्चे और माताएं स्वस्थ्य हो और जहां बाल मृत्युदर, शिशु मृत्युदर मातृ मृत्युदर एवं कुपोषण शून्य हो।

ग्राम पंचायत अपने क्षेत्र में आधारभूत संरचनाओं के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पंचायत की सक्रियता से आज कई गांवों में सड़क और जरूरी भवन भी बनाए जा चुके हैं। किन्तु क्या आज किसी पंचायत को बाल मृत्यु, शिशु मृत्यु, मातृ मृत्यु और कुपोषण से मुक्त किया जा सका है? निश्चित ही ऐसी पंचायत तलाशना बहुत ही मुश्किल है। किन्तु अब इस दिशा में हमें सघन प्रयास करने होंगे।

एन्युअल हैल्थ सर्वेक्षण 2012–13 की फैक्ट शीट के अनुसार मध्यप्रदेश में 5 वर्ष तक की उम्र के 1000 बच्चों में से 83 बच्चों की मृत्यु हो जाती है। मृत्युदर का यह आकड़ा पूरे मध्यप्रदेश (यानी सभी जिलों को मिलाकर) है। किन्तु प्रदेश में कई जिले ऐसे हैं, जहां मृत्युदर इससे भी ज्यादा है। उदाहरण के लिए पन्ना जिले में 5 वर्ष से कम उम्र के 1000 बच्चों में से 127 बच्चों की मृत्यु हो जाती है, वहीं सतना जिले में 121, सीधी जिले में 112, दमोह जिले में 106, उमरिया जिले में 99 बच्चों की मृत्यु हो जाती है। इसी तरह मध्यप्रदेश में 1 लाख जन्म पर 227 माताओं की मृत्यु हो जाती है।

अतः आज हमारे सामने यह चुनौती है कि बाल मृत्यु एवं मातृ मृत्यु की घटनाओं को कैसे रोकें? यदि हम पूरे प्रदेश में बाल मृत्यु और मातृ मृत्यु को समाप्त करना चाहते हैं तो इसकी शुरूआत ग्राम पंचायत से ही करनी होगी। अपनी पंचायत को बाल मृत्यु से पूरी तरह मुक्त करने के सपने को साकार करने के लिए कुछ सघन प्रयास करने होंगे।

बाकी पेज 2 पर

बाल मृत्यु रोकने के लिए क्या करें ?

- सरपंच पंचों के माध्यम से यह पक्का करें कि ग्राम पंचायत क्षेत्र के सभी बच्चों को समयानुसार पूरे टीके लगे।
- प्रत्येक पंच आशा कार्यकर्ता के माध्यम से अपने वार्ड की गर्भवती महिलाओं, शिशुओं तथा बच्चों की सूची बनाएं और सभी के माता–पिता को समयानुसार टीके लगवाने को कहें तथा टीकाकरण वाले दिन उन्हें टीकाकरण केन्द्र पर भेजें।
- टीकाकरण केन्द्र पर टीकाकरण के लिए पूरी सुविधाएं उपलब्ध करवाए जैसे वहां साफ पानी हो, हाथ धोने का साबुन हो और वहां महिलाओं व लोगों के बैठने की पूरी व्यवस्था हो।
- टीकाकरण के लिए प्रत्येक बच्चे एवं गर्भवती महिला को टीकाकरण केन्द्र पर लाने के लिए आशा कार्यकर्ता द्वारा घर–घर भ्रमण किया जाए और पंच–सरपंच द्वारा इस काम में उनकी मदद की जाए।
- यह देखें कि उपस्वास्थ्य केन्द्र नियमित खुले और बीमारी की अवस्था में बच्चों व महिलाओं को उपस्वास्थ्य केन्द्र या प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में भेजें।
- यह सुनिश्चित करें कि गांव में सभी गर्भवती महिलाओं की प्रसूति अस्पताल में ही हो।
- जननी एक्सप्रेस का नंबर सबको पता हो और जरूरत पड़ने पर सरपंच द्वारा फोन करके जननी एक्सप्रेस को गांव में बुलाया जाए।
- प्रत्येक गर्भवती महिला, धात्री महिला एवं 0 से 5 वर्ष के उम्र के सभी बच्चों का आगनबाड़ी में नामांकन हो और इस बात की निगरानी रखें कि उन्हें आंगनबाड़ी से नियमानुसार पोषण आहार व मध्यान्ह भोजन मिले।
- ध्यान रखें की कोई भी बच्चा एवं महिला कुपोषित नहीं हो।
- यह देखें के आंगनबाड़ी में नियमित रूप से बच्चों का वजन हो रहा है या नहीं? जिन बच्चों का वजन कम है उनके पोषण आहार पर विशेष ध्यान दें। अति कुपोषित बच्चों को एनआरसी में भर्ती करवाएं।
- बच्चों को उल्टी, दस्त, बुखार, निमोनिया, पीलिया आदि कोई भी बीमारी होने पर तुरन्त डॉक्टर को दिखाएं और डॉक्टर की सलाह के अनुसार दवाइयां ले। पंचायत ऐसे बच्चों को डॉक्टर के पास भेजें।
- जिन बच्चों का सम्पूर्ण टीकाकरण हो चुका है और जो बच्चे पूरी तरह स्वस्थ हैं, उनके पालकों को सम्मानित करें, ताकि अन्य पाल. कों को प्रेरणा मिल सके।
- ग्राम पंचायत एवं ग्रामसभा में आंगनबाड़ी, उपस्वास्थ्य केन्द्र तथा बच्चों के टीकाकरण की समीक्षा करें और इन सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए लोगों से सुझाव प्राप्त करें तथा उचित व व्यावहा. रिक सुझावों को लागू करें।

23 सितम्बर से 15 अक्टूबर तक सार्वजनिक रूप से रखी जाएगी मतदाता सूची

पंचायत चुनाव हेतु मतदाता सूची बनाने का काम जारी

भोपाल। मध्यप्रदेश में पंचायत चुनाव के लिए मतदाता सूची निर्माण का काम शुरू हो गया है। इसके लिए मप्र राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों और सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों की नियुक्ति कर दी गई तथा उनके द्वारा मतदाता सूची तैयार की जा रही है।

यह सूची भारत निवार्चन आयोग द्वारा दिनांक 1 जनवरी 2014 की स्थिति में तैयार मतदाता सूची के आधार पर बनाई गई, जिसमें उन सभी लोगों के नाम शामिल किए गए हैं, जिन्होंने 1 जनवरी 2014 को 18 वर्ष की उम्र पूरी कर ली है।

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रत्येक ग्राम पंचायत की मतदाता सूची और उसमें प्रत्येक वार्ड की मतदाता सूची बनाने का काम जारी है। यह सूची तैयार होने के बाद प्रत्येक ग्राम पंचायत में सभी के देखने के लिए रखी जाएगी। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी टाईम टेबल के अनुसार 23 सितम्बर 2014 से 15 अक्टूबर 2014 तक मतदाता सूची सभी को देखने के लिए ग्राम पंचायत में रखी जाएगी।

बाकी पेज 06 पर

पंचायत का हो

पेज एक से जारी...

क्यों जरूरी है सौ प्रतिशत टीकाकरण?

बाल मृत्युदर को समाप्त करने के लिए हमें बाल मृत्यु और टीकाकरण के संबंध को समझना होगा। यह सभी जानते हैं कि जन्म लेने के बाद से ही शिशु का टीकाकरण शुरू हो जाता है और एक निश्चित समय सारणी के अनुसार उसका टीकाकरण होता है। टीकाकारण शिशु को कई गंभीर बीमारियों से बचाता है।

हमें यह समझना होगा कि शिशुओं और बच्चों में रोग प्रतिरोधक क्षमता (बीमारियों से लड़ने की शरीर की क्षमता) कम होती है। इसके कारण वे जल्दी बीमार हो जाते हैं और बीमार होने के बाद वे बहुत कमजा. `र हो जाते हैं और कई बार बीमारी इतनी गंभीर हो जाती है कि बच्चे की मृत्यु तक हो जाती है। टीकाकरण बच्चों को कई गंभीर बीमारियों से बचाता है। इस तरह टीकाकरण बच्चों की मृत्यु की घटना को भी रोकता है।

यदि हम मध्यप्रदेश के विभिन्न जिलों में टीकाकरण और बाल मृत्युदर के बीच संबंध को देखें तो पाते हैं कि जिन जिलों में टीकाकरण सबसे ज्यादा हुआ है, वहां बाल मृत्युदर कम है और जिन जिलों में टीकाकरण सबसे कम हुआ है, वहां बाल मृत्युदर ज्यादा है। उदाहरण के लिए इन्दौर में टीकाकरण 85.5 प्रतिशत होता है, जबकि वहां 5 वर्ष से कम बाल मृत्यु दर 46 (1000 बच्चों पर 46 बच्चों की मृत्यु हो जाती) है। इसके ठीक विपरीत पन्ना जिले में टीकाकरण बहुत कम 38 प्रतिशत है और यहां 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्युदर सबसे ज्यादा 127 है। मध्यप्रदेश के अन्य जिलों में टीकाकरण और बाल मृत्युदर के आकड़े भी इस तरह के हैं जिनसे यह बात साबित होती है कि जहां टीकाकरण कम होता है वहां बाल मृत्युदर ज्यादा होती है और जहां टीकाकरण ज्यादा होता है, वहां बाल मृत्युदर कम होती है। इसी बात से पंचायत को बाल मृत्युदर से मुक्त करने का रास्ता नजर आता है।

यदि हम पंच–सरपंच होने के नाते यह चाहते हैं कि हमारी पंचायत में बाल मृत्यु शून्य हो जाए, यानी 5 वर्ष से कम उम्र के एक भी बच्चे की मृत्यु नहीं हो तो हमें अपनी पंचायत में 100 प्रतिशत टीकाकरण का लक्ष्य पूरा करना पड़ेगा। यानी गांव में प्रत्येक बच्चे को टीके लगे और सभी गर्भवती महिलाओं को भी टीके लगे। इसके लिए ग्राम पंचायत को सघन रूप से निगरानी करनी होगी।

सम्पूर्ण टीकाकरण के लिए सरपंच को यह देखना चाहिए कि ग्राम पंचायत में प्रत्येक बच्चे के जन्म का पंजीयन हो तथा आंगनबाड़ी में उसका नाम दर्ज हो। प्रत्येक वार्ड पंच को भी यह जिम्मदारी लेनी चाहिए कि वह अपने वार्ड में जन्म लेने वाले प्रत्येक बच्चे का पंजीयन करवाए तथा उसके माता–पिता को टीकाकरण के बारे में जानकारी दें।

पंचायत को यह भी देखना चाहिए कि उपस्वास्थ्य केन्द्र नियमित खुल रहा है या नहीं और वहां एएनएम तथा अन्य स्वास्थ्य कार्यकर्ता उपस्थित रहते हैं या नहीं। साथ ही पंचायत क्षेत्र में टीकाकरण के लिए ए.एन.एम. नियमानुसार ग्राम स्वास्थ्य पोषण दिवस आयोजित करने आती है या नहीं। सरपंच यह भी देखें कि जिस दिन टीकाकारण होना है उसकी जानकारी पंचायत क्षेत्र में सभी को है या नहीं। वार्ड पंच भी अपने–अपने वार्ड में यह जानकारी लोगों को दें और अपने वार्ड के बच्चों को टीकाकरण के लिए भेजें। साथ ही ग्राम स्वास्थ्य, पोषण एवं स्वच्छता समिति की नियमित बैठक सुनिश्चित करना जरूरी है। इस समिति के सदस्यों को भी टीकाकरण पर निगरानी तथा पंचायत में 100 प्रतिशत टीकाकरण का लक्ष्य हासिल करने के लिए प्रे. रित करें। साथ ही गांव में स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस का आयोजन कर उससे भी ग्रामवासियो को जोड़े और टीकाकरण, पोषण तथा स्वास्थ्य के बारे में लोगों से चर्चा करें और उन्हें इन सेवाओं का लाभ लेने के लिए प्रेरित करें।

Tkkudkjh

बीमारियों को समझें और बचाव के उपाय ढूंढें

टीकाकरण नहीं होने पर बच्चों को कई गंभीर बीमारियां हो सकती है और कई बार इन बीमा. रियों से बच्चों की मृत्यु हो जाती है। इन बीमारियों से बचाव के लिए यह जरूरी है इनके लक्षणों और प्रभाव को समझे। पंचम के इस कॉलम में हम नियमित रूप से ऐसी बीमारियों के बारे में जानकारी प्रकाशित करेंगे। ताकि इन बीमारियों से बचाव के तरीकों की जानकारियों को फैलाया जा सकें। इस बार प्रस्तुत है टी.बी. और गल घोंटू की जानकारी।

टी.बी. यानी तपेदिक

आपने टी.बी. की बीमारी से पीड़ित लोगों को देखा होगा। इस बीमारी को तपेदिक कहा जाता है, जो एक जीवाणु के कारण होती है, इस जीवाणु का नाम ''माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्युली'' है। यह एक फैलने वाली बीमारी है, जिससे फेफड़े सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। साथ ही इसका असर आंतों, हड्डियों, जोड़ों, लसीका ग्रंथियों, तनिकाओं और शरीर के तंतुओं पर भी पड़ सकता है। टी.बी. से गंभीर बीमारी और मौत तक हो सकती है।

इस बीमारी की पहचान क्या है?

यदि बच्चे को दो सप्ताह से अधिक समय तक बुखार या खांसी या दोनों ही रहे और उसका वजन लगातार कम हो रहा हो तो उसे टी.बी. हो सकता है।

कैसे फैलती है यह बीमारी?

टी.बी. की बीमारी से पीड़ित व्यक्ति के सम्पर्क में आने से तथा उस व्यक्ति की खांसी या छींक के कणों से टी. बी. फैल सकती है। टी.बी. का एक अन्य प्रकार भी है, जिसे ''बोवाईन टी. बी.'' कहते हैं, जो जानवरों का कच्चा दूध (बिना उबला दूध) पीने से होती है।

कैसे करें टी.बी. से बचाव?

टी.बी. से बचाव का सबसे अच्छा और महत्वपूर्ण तरीका है बच्चों को बीसीजी का टीका लगवाना। यह टीका जन्म से 24 घंटे के भीतर शिशु को लगाया जाता है। अतः ध्यान रखें कि पैदा होते ही शिशु को यह टीका लगे। किन्तु यदि जन्म के समय नहीं लगाया गया हो तो एक वर्ष की उम्र के पहले जरूर लगाया जाना चाहिए। यह कोशिश होनी चाहिए कि यह टीका जितनी जल्दी हो, शिशु को लगाया जाए। यह टीका बायी ऊपरी बांह पर लगाया जाता है।

डिप्थीरिया यानी गल घोंटू

गल घोंटू बीमारी को डिप्थीरिया भी कहा जाता है। यह एक जीवाणु से होती है। इस जीवाणु का नाम ''कोराईन बैक्टिरियम डिप्थीरिया'' है। यह एक फैलने वाली बीमारी है जो टान्सिल व श्वास नली को संक्रमित करती है, जिससे एक ऐसी झिल्ली बन जाती है, जो सांस लेने में रूकावट पैदा करती है और जिससे मौत भी हो सकती है।

इस बीमारी की पहचान क्या है?

यदि गले में खराश हो, हल्का बुखार हो और गले में स्लेटी रंग का धब्बा या धब्बे हो तो समझिये कि गल घोंटू बीमारी हो सकती है।

कैसे फैलती है यह बीमारी?

इस बीमारी के जीवाणु पीड़ित व्यक्ति के मुंह, नाक और गले में रहते हैं। यह बीमारी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में खांसने और छींकने से फैलती है।

कैसे करें गल घोंटू से बचाव?

डी.पी.टी. के टीके लगवाना ही इस बीमारी से बचने का खास उपाय है। यदि यह टीका नहीं लगाया गया तो बच्चे को 14 साल तक की उम्र तक डिप्थीरिया का संक्रमण बार–बार हो सकता है। यह टीका (डी.पी.टी–1, 2, व 3) 6 सप्ताह, 10 सप्ताह और 14 सप्ताह में दिया जाता है। यह बच्चे की मध्य जांघ के बाहरी हिस्से में लगाया जाता है।

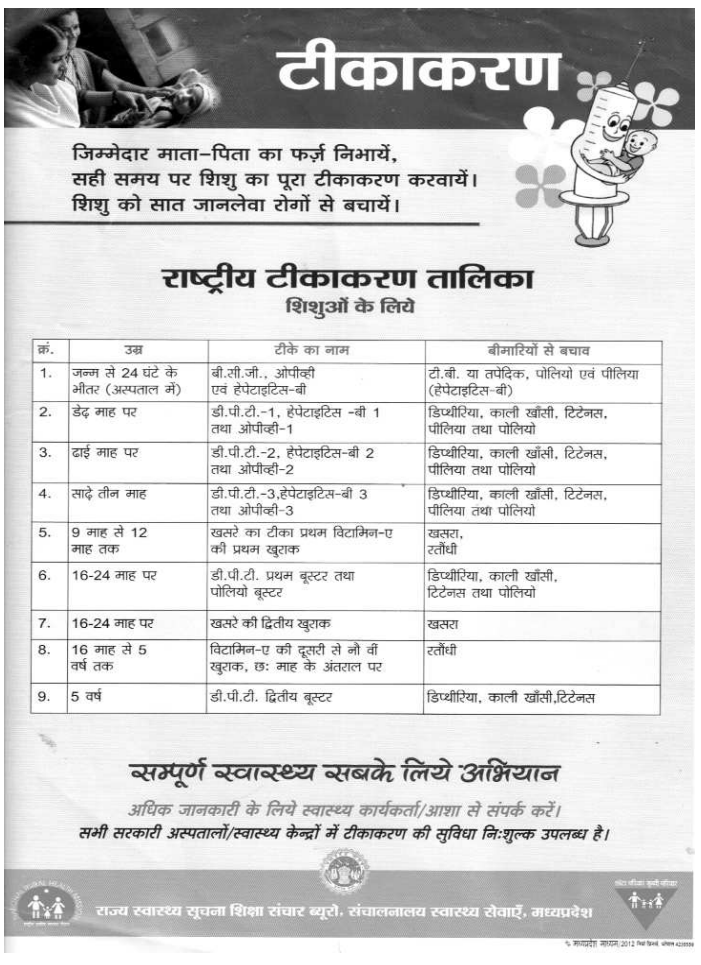

क्रं.	उम्र	टीके का नाम	बीमारियों से बचाव
1.	जन्म से 24 घंटे के भीतर (अस्पताल में)	बी.सी.जी., ओपीव्ही एवं हेपेटाइटिस-बी	टी.बी. या तपेदिक, पोलियो एवं पीलिया (हेपेटाइटिस-बी)
2.	डेढ़ माह पर	डी.पी.टी.-1, हेपेटाइटिस -बी 1 तथा ओपीव्ही-1	डिप्थीरिया, काली खाँसी, टिटेनस, पीलिया तथा पोलियो
3.	ढाई माह पर	डी.पी.टी.-2, हेपेटाइटिस-बी 2 तथा ओपीव्ही-2	डिप्थीरिया, काली खाँसी, टिटेनस, पीलिया तथा पोलियो
4.	साढ़े तीन माह	डी.पी.टी.-3,हेपेटाइटिस-बी 3 तथा ओपीव्ही-3	डिप्थीरिया, काली खाँसी, टिटेनस, पीलिया तथा पोलियो
5.	9 माह से 12 माह तक	खसरे का टीका प्रथम विटामिन-ए की प्रथम खुराक	खसरा, रतौंधी
6.	16-24 माह पर	डी.पी.टी. प्रथम बूस्टर तथा पोलियो बूस्टर	डिप्थीरिया, काली खाँसी, टिटेनस तथा पोलियो
7.	16-24 माह पर	खसरे की द्वितीय खुराक	खसरा
8.	16 माह से 5 वर्ष तक	विटामिन-ए की दूसरी से नौ वीं खुराक, छः माह के अंतराल पर	रतौंधी
9.	5 वर्ष	डी.पी.टी. द्वितीय बूस्टर	डिप्थीरिया, काली खाँसी,टिटेनस

LokLF;] lepnk; vkSj cnyko

vLirky ls feyus yxh nokb;ka

gueku izlkn xqIrk }kjk

Lkh/khA आमतौर पर सरकारी अस्पतालों में दवाई की कमी की बात समाने आती रही है और लोगों की शिकायत होती है कि उन्हें जरूरी दवाइयां नहीं मिलती है। इस दशा में लोगों को बाजार से दवाइयां खरीदनी पड़ती है। किन्तु जिंक ओ.आर.एस. के प्रचलन के लिए सीधी जिले में किए जा रहे प्रयासों का यह असर हुआ कि अब यहां के अस्पतालों में सभी जरूरी दवाइयां उपलब्ध हैं।

जिले के सिहावल विकास खण्ड में पिछले एक वर्ष से दस्त प्रबंधन प्रशिक्षण एवं प्रचार–प्रसार का काम किया जा रहा है। इसके अंतर्गत जिंक ओ.आर.एस. के प्रचलन को बढ़ावा दिया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत विकास खण्ड के सभी स्वास्थ्य केन्द्रों पर जिंक एवं ओ.आर.एस. की उपलब्धता की जानकारी एकत्र की जा रही थीं, इसी दौरान अन्य दवाइयों की उपलब्धता की बात भी समाने आईं। इस दौरान यह देखा गया कि जो दवाइयां अस्पताल एवं आशा कार्यकर्ता के पास होनी चाहिए, वे वहां है या नहीं है? वहां अनुपलब्ध पाई गई दवाइयों की सूची बनाई गई और उन पर स्वास्थ्य विभाग से चर्चा की गई। इसके परिणामस्वरूप अब अस्पतालों एवं अरोग्य केन्द्रों में सभी जरूरी दवाइयां उपलब्ध हैं तथा जरूरत के मुताबिक मरीजो को दी जाती है। अब ग्रामीणों को दवाई के लिए भटकना नहीं पड़ता।

cgrj gq, vkjksX; dsUnz जिले के सुदूर आदिवासी बहुल क्षेत्रों में योजनाओं के क्रियान्वयन तथा आरोग्य केन्द्रों के नियमित एवं बेहतर संचालन में कई तरह की दिक्कतें रही है। जिनमें संसाधनों का अभाव, लोगों को उनके बारे में जानकारी नहीं होना तथा उन तक लोगों की पहुंच नहीं होना आदि प्रमुख है। सुदूर क्षेत्र होने के कारण प्रशासनिक तंत्र द्वारा भी यहां नियमित मॉनिटरिंग नहीं हो पाती। इस दशा में समर्थन के कार्यक्रम के अंतर्गत यहां स्वास्थ्य सेवाओं की निगरानी की प्रक्रिया शुरू की गई। इसके परिणामस्वरूप आज यहां के आरोग्य केन्द्र नियमित संचलित हो रहे हैं।

उल्लेखनीय है कि इस क्षेत्र के लोगों को अल्प संसाधनों के सहारे जीना पड़ता था, साथ ही सरकार द्वारा चलाई जा रही स्वास्थ्य सुविधाओं का क्रियान्वयन ठीक से नहीं हो पाता था। पूरे विकासखण्ड में ग्राम आरोग्य केन्द्रों की स्थिति दयनीय रही है। आधे से अधिक ग्राम आरोग्य केन्द्र या तो खुलते नहीं थे या फिर वहां आशा कार्यकर्ता सक्रिय नहीं थीं। इस दशा में समर्थन के कार्यक्रम से जुड़े साथियों ने ग्राम आरोग्य केन्द्रों की निगरानी की प्रक्रिया शुरू की। निगरानी के अंतर्गत आरोग्य केन्द्रों का दौरा कर एक निगरानी प्रपत्र भरा जाता था और उसमें सामने आने वाली समस्याओं को हल करने के लिए आशा कार्यकर्ताओं, प्रशासनिक अधिकारियों तथा पंचायत प्रतिनिधियों से चर्चा की जाती थीं। इस प्रक्रिया का असर सीधे आरोग्य केन्द्र में देखने को मिला। पहले जहां आशा कार्यकर्ता समस्याओं से अकेली ही जूझती रहती थीं, वहीं अब उन्हें अपनी समस्या, विचार और अनुभव साझा करने के लिए वातवरण बना। इस प्रक्रिया से आरोग्य केन्द्रों में कई प्रकार से सुधार संभव हो पाए। वहां विभिन्न उपकरणों का प्रबंध हुआ, फर्नीचर की व्यवस्था हुई, तथा आरोग्य केन्द्र नियमित खुलने लगे।

vk'kk us dk;e dh felky

lq/kka'kq feJk }kjk

सिंगरौली। जिले के देवसर ब्लाक में ग्राम आरोग्य केन्द्र खैराबड़ा की आशा कार्यकर्ता सीमा षर्मा गांव के हर व्यक्ति को स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने के लिए लगातार प्रयासरत् है। आशा कार्यकर्ता द्वारा आरोग्य केन्द्र में लोगो को जरूरी स्वास्थ्य सुविधा एवं सलाह उपलब्ध कराई जा रही है। उनके द्वारा सभी दस्तावेज तैयार किए जाते हैं? साथ ही ग्राम स्वास्थ्य, पोषण एवं स्वच्छता समिति की भी नियमित बैठक की जाती है। आशा द्वारा ग्रामवासियों को शौचालय बनवाने की सलाह दी जाती है। आशा द्वारा घर में साफ–सफाई की सुविधा की जानक. ारी एवं मवेशियों की घर से दूरी के बारे में भी लोगों से चर्चा की जाती है। आरोग्य केन्द्र में दौरा करने वाले लोगों के सुझावों को प्राप्त करने के लिए एक सुझाव रजिस्टर रखा गया है, जिसमें आरोग्य केन्द्र आने वाले लोगों द्वारा अपने विचार व सुझाव लिखे जाते हैं। यह आशा कार्यकर्ता की सूझबूझ का परिचायक है। उल्लेखनीय है कि इस गांव की बस्ती बहुत घनी है, जिसमें ज्यादातर लोग मजदूरी पर निर्भर है। आशा द्वारा उन्हें स्वास्थ्य सुविधाओं की जानकारी दी जाती है। इससे आरोग्य केन्द्र के प्रति लोगों की रूचि बढ़ी और वे आरोग्य केन्द्र तक पहुंचने लगे। इसके परिणाम स्वरूप नियमित टीकाकरण आसान हुआ, वहीं बीमारी की अवस्था में लोगों को जल्दी ही इलाज मिल जाता है तथा गंभीर बीमारी की दशा में लोग समय पर प्राथमिक एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र तक पहुंच जाते हैं।

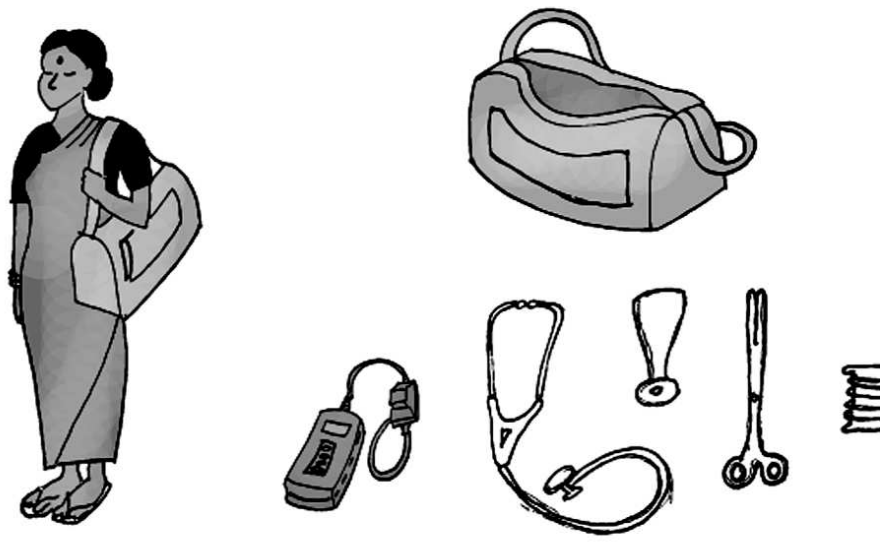

बाल स्वास्थ्य एवं टीकाकरण में पंचायत की भूमिका पर चर्चा

मप्र के 7 जिलों के पंचायत प्रतिनिधियों ने भागीदारी की

भोपाल। बच्चों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए नियमित टीकाकरण और उसमें पंचायत की भूमिका पर एक दिवसीय सम्मेलन 15 जुलाई को भोपाल में सम्पन्न हुआ। यूनीसेफ के सहयोग से समर्थन भोपाल द्वारा आयोजित इस सम्मेलन में प्रदेश के 7 जिलो के पंचायती राज महासंघ से जुड़े पंचायत प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

सम्मेलन की शुरूआत करते हुए समर्थन के निदेशक श्री योगेश कुमार ने पंचायत की विकास परक भूमिका पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि पंचायतों द्वारा निर्माण कार्यो को बखूबी अंजाम दिया जाता है, किन्तु इसी के साथ उन्हें स्वास्थ्य एवं जीवन के लिए अन्य जरूरी मुद्दों पर भी काम करने की जरूरत है। क्योंकि पंचायत की भूमिका स्थानीय स्वशासन की है, जिसमें उन्हें सभी ग्रामवासियों के स्वास्थ्य, शिक्षा और पोषण के मुद्दे को भी देखना होगा। इसमें टीकाकरण का मुद्दा सर्वाधिक गंभीर है, क्योंकि यह गर्भवती महिलाओं और बच्चों के जीवन की रक्षा करता है।

पंचायती राज महासंघ के जनप्रतिनिधियो के इस एक दिवसीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए यूनीसेफ के संचार विशेषज्ञ श्री अनिल गुलाटी ने टीकाकरण में पंचायत की भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि पंचायत को यह तय करना होगा कि उनकी पंचायत में सौ प्रतिशत बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण हो। इसके लिए टीकाकरण को पंचायत बैठक एवं ग्राम सभा बैठक के मुख्य एजेण्डा में शामिल करना होगा। उन्होंने कहा कि राज्य स्तर से लेकर जिला और गांव स्तर तक टीकाकरण की खास व्यवस्था बनाई गई है। गांव में इस व्यवस्था पर निगरानी रखने में पंचायतों के जन प्रतिनिधि विशेष भूमिका निभा सकते हैं।

टीकाकरण का बच्चों की मृत्यदर से गहरा संबंध है। इस संबंध में यूनीसेफ की स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉ. वंदना भाटिया ने कहा कि ''पूर्ण टीकाकरण से बच्चों को 7 जानलेवा बीमारियों से बचाया जा सकता है।'' प्रदेश के विभिन्न जिलों में 5 वर्ष तक के बच्चों की बाल मृत्युदर के आंकड़े प्रस्तुत करते हुए उन्होंने कहा कि ''जिन जिलो में सम्पूर्ण टीकाकरण कम हुआ है वहां बाल मृत्युदर ज्यादा है और जहां सम्पूर्ण टीकाकरण ज्यादा हुआ है वहां बाल मृत्युदर कम है।'' उन्होंने बताया कि टीकाकरण न होने पर कई गंभीर बीमारियां हो सकती है, जिनमें से कई बीमारियां जानलेवा होती है। इस दौरान टीकाकरण में पंचायत की भूमिका पर भी विस्तार से चर्चा हुई। सहभागी पंचायत प्रतिनिधियों ने कहा कि वे अपनी पंचायत में सम्पूर्ण टीकाकरण के लिए योजना बनाएंगे। साथ ही नवजात शिशुओं और बच्चों की पहचान कर उनके टीकाकरण पर निगरानी रखेंगे। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा एवं एएनएम से बातचीत कर टीकाकरण में होने वाली बाधा को दूर करने का प्रयास करेंगे।

सम्मेलन में माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता वि.वि. की पूर्व प्राध्यापक दविन्दर कौर उप्पल एवं पंचायत राज व्यवस्था के अध्येता डॉ. आर.एन. स्याग ने पंचायत की विभिन्न भूमिकाओं पर अपने विचार रखें। सम्मेलन में तय किया गया कि पंचायत राज महासंघ द्वारा प्रकाशित मासिक समाचार पत्र ''पंचम'' में टीकाकरण एवं बाल स्वास्थ्य में पंचायत की भूमिका पर विशेष सामग्री प्रकाशित की जाएगी। इसमें गांव में टीकाकरण की स्थिति तथा सफलता और चुनौतियों पर आधारित प्रेरणास्पद रिपोर्ट प्रकाशित की जाएगी। पंचम की प्रति मध्यप्रदेश की 2000 से अधिक ग्राम पंचायतों में जाएगी। साथ ही पंचम को प्रदेश के जन प्रतिनिधियों, प्रशासनिक तंत्र, सामाजिक कार्यकर्ता एवं विभिन्न संस्थाओं व समूहों तक प्रसारित किया जाएगा।

समग्र स्वच्छता की ओर सोठिया गांव

नारायण ने बनवाया अपने घर शौचालय, 30 घरों में जारी है निर्माण

नसरूल्लागंज। रोजमर्रा की आवश्यकताओं में शौचालय को प्राथमिकता कम ही दी जाती है। यही कारण है कई घरों में शौचालय नहीं है। मकान बनाते समय भी शौचालय निर्माण पर ध्यान नहीं दिया जाता है। किन्तु निर्मल सीहोर अभियान के प्रयासों से अब शौचालय लोगों की प्राथमिकता में शामिल हो गया है। यह बात सीहोर जिले के नसरूल्लागंज कस्बे से 4 किलोमीटर दूर बसे गांव सोठिया में देखी जा सकती है, जहां लोग शौचालय निर्माण के लिए आगे आ रहे हैं।

सोठिया गांव में सभी जातियों के लोग निवास करते हैं तथा गांव की आजीविका का मुख्य साधन खेती है। यहां मई माह में निर्मल सीहा. `र अभियान के अंतर्गत रात्रि चौपाल का आयोजन किया गया था। रात्रि चौपाल का उद्देश्य लीच पिट वाले शौचालय के निर्माण की समझ विकसित करना था। चर्चा के दौरान सोठिया निवासी नारायणसिंह लीच पिट शौचालय बनाने का विरोध करने लगे। इस पर उन्हें समझाया गया कि लीच पिट वाले शौचालय किस तरह कम खर्च में बनाए जा सकते हैं और ये शौचालय हमारे लिए

बेहतर हैं। इसके साथ ही उन्हें यह भी बताया किया सेप्टिक टैंक वाले शौचालय बहुत महंगे होते हैं, जो ग्रामवासियों के लिए बनवाना बहुत ही मुश्किल हैं। नारायण सिंह को बात समझ में आ गई।

करीब साढ़े तीन एकड़ की भूमि पर खेती करते हुए परिवार की आजीविका चलाने वाले नारायण सिंह को शौचालय की जरूरत महसूस होने लगी। क्योंकि उनकी पत्नी मूक बाधिर है तथा खुले में शौच करने जाने में उन्हें दिक्कत होती है। रात्रि चौपाल में चर्चा के बाद नारायणसिंह ने इस बारे में सोचना शुरू किया और अल्प आय के बावजूद उन्होंने अपने घर पर शौचालय निर्माण का संकल्प लिया।

इस तरह नारायणसिंह ने अपने घर पर शौचालय निर्माण का काम शुरू करवाया। आज उनके घर पर शौचालय न सिर्फ बनकर तैयार है, बल्कि उनका पूरा परिवार उसका उपयेाग कर रहा है। नारायणसिंह की कहानी यह साबित करती है कि समुदाय के साथ संवाद कायम कर उन्हें सही जानकारी दी जा सकती है और खुले में शौच की प्रथा से उन्हें अलग किया जा सकता है। अब सोठिया गांव के अन्य परिवार भी नारायणसिंह से प्रेरणा लेकर अपने घरों में शौचालय निर्माण की तैयारी कर रहे हैं।

रात्रि चौपाल के आयोजन के समय सोठिया गांव के 467 घरों में से 366 घरों में शौचालय थे। यानी यहां 101 घरों के लोग खुले में शौच करने को विवश थे। रात्रि चौपाल में हुई चर्चा के बाद यहां नारायणसिंह सहित कई लोगों ने अपने घरों में शौचालय निर्माण का संकल्प लिया था। इसके परिणामस्वरूप नारायणसिंह ने तो अपने घर में शौचालय बना ही लिया है, साथ ही गांव के 35 परिवारों ने भी शौचालय निर्माण का काम शुरू किया है। इसमे से 15 घरों में शौचालय का निर्माण प्रगति पर है। ग्राम पंचायत द्वारा 60 और परिवारों में शौचालय निर्माण की तकनीकी मंजूरी जनपद पंचायत से ली गई है। इस तरह सोठिया गांव खुले में शौच से मुक्ति की दिशा में आगे बढ़ रहा है।

धबोटी गांव में हुआ रात्रि चौपाल का असर

ग्रामवासियों ने लिया खुले में शौच से मुक्ति का संकल्प

सीहोर। खुले में शौच से मुक्ति और समग्र स्वच्छता की दिशा में व्यवहार परिवर्तन एक महत्वपूर्ण आयाम है। सदियों से कायम खुले में शौच की प्रवृत्ति पर समाज में ज्यादा विचार–विमर्श नहीं हुआ और यह लोगों की चिन्ता का विषय भी नहीं बन पाई थी। अतः निर्मल सीहोर अभियान के अंतर्गत व्यवहार परिवर्तन की दिशा में खास पहल की जा रही है, ताकि लोग खुले में शौच की प्रवृत्ति को त्याग कर समग्र स्वच्छता और स्वस्थ जीवन की दिशा में आगे बढ़ सके। इस दिशा में रात्रि चौपाल एक परिवर्तनकारी गतिविधि के रूप में सामने आई है। जिले के ग्राम धबोटी में इसका असर देखा जा सकता है। ग्राम धबोटी जिला मुख्यालय से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहां समर्थन संस्था द्वारा निर्मल सीहोर अभियान के अंतर्गत व्यवहार परिवर्तन की दिशा में प्रयास शुरू किया गया। अभियान द्वारा जब यहां कार्य शुरु किया तब गांव में 366 परिवारों मे से मात्र 96 परिवारों में ही शौचालय उपलब्ध थे, जिनमें से 26 शौचालय जर्जर अवस्था में थे। जिन 96 परिवारों में शौचालय थे, उनमें से भी 70 परिवारों अपने शौचालयों का उपयोग नहीं कर रहे थे।

इस स्थिति में निर्मल सीहोर अभियान के कार्यकर्ताओं ने ग्रामवासियों से लगातार सम्पर्क कर शौचालय निर्माण व उपयोग पर चर्चा की। कई बार सरपंच सचिव के साथ मिटिंग की गई, किन्तु कोई अपेक्षित परिणाम सामने नहीं आया। इस दशा में कार्यकर्ताओं ने सोचा कि क्यों न पूरे गांव को एक साथ इकठ्ठा कर इस विषय पर चर्चा की जाए। इस तरह 3 जून 2014 को धबोटी में रात्रि चौपाल का आयोजन किया गया, जिसमें गांव के 100 से अधिक महिला–पुरुषों ने भाग लिया। चर्चा शाम 6 बजे शुरु हुई। रात्रि चौपाल में ग्रामीणों के साथ–साथ निर्मल भारत अभियान के जिला प्रभारी, ब्लाक प्रभारी, समर्थन संस्था की संतोषी तथा ग्राम पंचायत के सचिव उपस्थिति थे। बैठक में जब शौचालय निर्माण पर बात की गई तो ग्रामवासी और पंचायत सचिव एक–दूसरे पर दोषारोपण करने लगे। तब निर्मल भारत अभियान के जिला प्रभारी एवं समर्थन की संतोषी ने चर्चा को रचनात्मक दिशा में मोड़ने की कोशिश की और लोगों को अहसास करवाया कि आपके आपसी मतभेद की वजह से हम विकास के मामले में पीछे हैं और हमारा परिवार शौचालय जैसी मूलभूत सुविधा से वंचित है। यह बात लोगों को समझ में आई और उन्होंने गांव को पूरी तरह से स्वच्छ तथा हर घर शौचालय के लिए योजना बनाना शुरू किया। लोगों ने संकल्प लिया कि वे गांव में सभी 100 प्रतिशत घरों मे शौचालय निर्माण करवाएंगे। ग्राम पंचायत सचिव ने भी लोगों के इस संकल्प में अपना साथ दिया और कहा कि अब हम सब मिलकर समग्र स्वच्छता के सपने को साकार करेंगे।

इस संकल्प के बाद गांव में शौचालय निर्माण का कार्य शुरू हुआ। जुलाई माह तक 102 घरों में शौचालय बन चुके हैं तथा शेष घरों में निर्माण कार्य जारी है।

खास बातें

- रात्रि चौपाल से पहले गांव के 366 परिवारों में से 270 परिवारों में शौचालय नहीं थे।
- जिन 96 परिवारों में शौचालय थे, उनमें से 26 शौचालय जर्जर अवस्था में थे।
- 70 परिवारों अपने शौचालय का उपयोग नहीं कर रहे थे और वे शौच के लिए बाहर (खुले) में जाते थे।
- रात्रि चौपाल में इस पूरे मुद्दे पर चर्चा की गई और लोगों ने गांव को समग्र स्वच्छा बनाने का संकल्प लिया।
- जुलाई माह तक 102 घरों में शौचालय निर्माण हो चुका है तथा शेष घरों में निर्माण कार्य जारी है।

कैसे बनाएं सस्ते शौचालय?

लीच पिट यानी गड्डे वाले शौचालय सबसे बेहतर है

शौचालयों के कई प्रकार हैं। आमतौर पर शहरों में सेप्टिक टैंक वाले शौचालय पाए जाते हैं। किन्तु ये शौचालय बहुत महंगे होते हैं। हमारे गांवों के लिए शौचालयों का सबसे अच्छा प्रकार है ''गड्डे वाले शौचालय'' है। ये शौचालय सस्ते होने के साथ–साथ कम समय में लोगों द्वारा बनाए जा सकते हैं। ज्यादातर लोगों के मन में यह धारणा है कि शौचालय बनाने के लिए ज्यादा जगह की जरूरत होती है। किन्तु गड्डे वाले शौचालय का निर्माण मात्र एक मीटर व्यास में भी किया जा सकता है। चूकि यह जलबंध शौचालय है, अतः इसमें बदबू नहीं आती है।

एक गड्डा जो 3 फीट गोलाई (व्यास) तथा 4 फीट गहरा हो, और यदि एक परिवार के 5–6 सदस्यों द्वारा प्रयोग में लाया जाता है तो वह करीब दो साल तक चलेगा। दो साल में गड्डा भर जाने पर उसे बंद कर देना चाहिए तथा दूसरे गड्डे का उपयोग प्रारंभ कर देना चाहए। पहले वाले गड्डे में 2 साल के बाद बढ़िया खाद बन जावेगा, इस खाद में न तो कोई बदबू होगी और न ही कोई हानिकारक जीवाणु होंगे। तब प्रथम गड्डा दूसरा गड्डा भरने के बाद फिर से उपयोग में लाने के योग्य हो जाता है। इस प्रकार दो सोख्ता गड्डे वाले शौचालयों को कई वर्षो तक उपयोग में लाया जा सकता है। अगर हम गड्डे की गहराई न्यूनतम आवश्यकता से अधिक बढ़ाएंगे तो भूमिगत् जल प्रदूषित होगा। 3 फीट गोलाई एवं 4 फीट गहरा गड्डा एक परिवार के उपयोग के लिए बेहतर है। इससे अधिक गहराई के गड्डे के निर्माण से खर्च भी बढ़ेगा और अधिक गहराई पर खाद बनने की प्रक्रिया भी सही ढंग से नहीं हो पाएगी। चूंकि वहां सूर्य की रोशनी के माध्यम से पर्याप्त गर्मी नहीं पहुंच पाएगी तथा जो खाद बनेगी उसे निकालने में भी कठिनाई होगी। यह ध्यान रखे कि गड्डा शुद्ध पेयजल स्रोत से कम से कम 10 मीटर यानी 30 फीट दूर होना चाहिए।

सामान्य प्रकार की मिट्टी में एक गड्डे एवं एक चबूतरे तक के निर्माण हेतु पांच सौ ईट, डेढ से दो बोरी सीमेंट, दस से बारह बोरी बालू रेत, चार फीट पाईप, एक लेट्रीन सीट, और गड्डा ढकने के लिए तीन फर्शी की जरूरत होती है। निर्माण में सीमेन्ट और रेत का मसाला 1:4 से कम न हो तथा कम से कम एक सप्ताह तक पानी की सिंचाई की जाए। ध्यान रखें कि ईट अच्छी गुणवत्ता की हो तथा पानी में घुलने वाली न हो।

ऐसे बनाएं गड्डे वाला शौचालय!

- दो सोख्ता गड्डे तैयार करें। हर गड्डा चार फिट गहरा एवं साढ़े तीन फिट गोलाई का खोदे।
- गड्ढे का अंदरूनी व्यास 3 फीट रखकर 4 इंच गोलाई वाला, ईंटों से निर्माण कराएं।
- ईंटों की जुड़ाई करते समय सबसे नीचे वाले तीन और सबसे ऊपर वाले तीन स्तरों में छेद न रखें। बाकी स्तरों में मधुमक्खी के छत्ते की तरह छेद रखें।
- गड्डे अगर घर के समीप हो तो घर की दीवार की तरफ वाले बाजू में छेद न छोड़ें।
- गड्ढे पर 6 मि. मी. के सरिए का उपयोग करके ढक्कन बनाएं या 2–3 इंच मोटा फर्श रखें।
- परिवार के 5 सदस्यों के लिए एक सोख्ता गड्ढा 4–5 साल चलता है। सोख्ता गड्ढा भरने के बाद उसे 18 महीने तक वैसा ही छोड़ दें। 18 महीने में शौच का अच्छा खाद बन जाता है।
- प्लेटफार्म की अंदरूनी जगह कम से कम 3 फिट ६ 3.5 फिट की होनी चाहिए।
- मुर्गा (पी ट्रेप) लगाना अनिवार्य है, मुर्गा 20 मि.मी. का होना चाहिए।
- मुर्गे में हमेशा पानी बना रहने के कारण शौचालय में बदबू नहीं आती, परंतु शौच के पहले पैन को थोड़ा पानी डालकर गीला करना होता और शौच के बाद एक झटके में डेढ़ से दो लीटर पानी डालना आवाश्यक है।

जेवर जरूरी या **मर्यादा?**

सीहोर। जिला मुख्यालय से 5 किलोमीटर दूर बसे गांव जहांगीरपुरा में पिछले दिनों यह सवाल महत्वपूर्ण रूप से सामने आया कि ''जेवर जरूरी है या मर्यादा?'' गांव में निर्मल सीहोर अभियान के कार्यकर्ताओं द्वारा खुले में शौच से मुक्ति तथा समग्र स्वच्छता पर बातचीत की जा रही थी। बातचीत के दौरान इस सवाल पर खूब चर्चा हुई। ग्रामवासियों को यह बात समझ में आई कि खुले में शौच से कई दिक्कते हैं, जिससे मर्यादा और स्वास्थ दोनों का ही नुकसान हो रहा है।

सम्मान और स्वास्थ्य दोनों के लिए ही जरूरी है शौचालय

इस गांव के ज्यादातर परिवार अपने भरण पोषण के लिए मजदूरी पर निर्भर है। कमजोर आर्थिक स्थिति के कारण लोगों ने शौचालय निर्माण की ओर ध्यान नहीं दिया। निर्मल सीहोर अभियान द्वारा यहां चर्चा के दौरान शौचालय की जरूरत पर बातचीत की गई। अभियान की सुनीता चौरसिया ने कहा कि ''खुले में शौच के कई खतरे हैं। इसमें मर्यादा और इज्जत का खतरा है, वहीं गांव में गंदगी फैलती है और लोग गंभीर बीमारियों के शिकार होते हैं। इन बातों का लोगों के मन पर गहरा असर हुआ और उन्होंने अपने घर शौचालय निर्माण करवाने की बात कही। गांव के ओमप्रकाश लोधी ने कहा कि आज मुझे समझ में आया कि हमारे सम्मान और स्वास्थ्य के लिए शौचालय कितना जरूरी है। उनकी पत्नी ने कहा कि हमारे पास पैसे नहीं है तो क्या हुआ, हम अपने जेवर गिरवी रखकर शौचालय बनवा लेंगे।

शाला में शौचालय की स्थिति

कई शालाओं में नहीं है बालक–बालिकाओं के लिए अलग–अलग शौचालय–सर्वे रिपोर्ट

शिक्षा अधिकार कानून के प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक शाला में बालक एवं बालिकाओं के लिए अलग–अलग शौचालय होना जरूरी हैं। किन्तु मध्यप्रदेश लोक संघर्ष साझा मंच द्वारा प्रदेश के 9 जिलों में किए गए अध्ययन से यह बात सामने आई है कि अभी भी कई शालाओं में बालक–बालिकाओं के लिए अलग–अलग शौचालय नहीं है। अध्ययन से सामने आए तथ्यों के मुताबिक सर्वेक्षित 64 प्राथमिक शालाओं में से 26 शालाओं में बालक एवं बालिक.ाओं के लिए अलग–अलग शौचालय उपलब्ध है, जो कुल संख्या का 41 प्रतिशत है। यानी सर्वेक्षित शालाओं में से 59 प्रतिशत शालाओ में बालक एवं बालिकाओं के लिए अलग–अलग शौचालय नहीं है।

सर्वेक्षित 25 माध्यमिक शालाओं में से 11 माध्यमिक शालाओं में बालक व बालिक.ाओं के लिए पृथक शौचालय उपलब्ध नहीं है। यानी 56 प्रतिशत माध्यमिक शालाओं में बालक एवं बालिकाओं के लिए अलग–अलग शौचालय मौजूद नहीं है। इस तरह यदि प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं की कुल स्थिति का आकलन करें तो पाते हैं कि कुल मिलाकर 42 प्रतिशत सर्वेक्षित शालाओं में पृथक शौचालय उपलब्ध है।

विभिन्न जिलों में शौचालयों की स्थिति का आकलन करने पर यह बात सामने आती है कि भोपाल व इन्दौर के नगरीय क्षेत्रों की सभी 100 प्रतिशत सर्वेक्षित शालाओं में बालक–बालिकाओं के लिए

अलग–अलग शौचालय उपलब्ध है, वहीं डिंडौरी में 90 प्रतिशत शालाओं में अलग–अलग शौचालय उपलब्ध है। इस संबंध में सबसे चिन्ताजनक स्थिति श्योपुर, ग्वालियर और मंडला जिले में देखने को मिलती है जहां मात्र 15 से 17 प्रतिशत शालाओं में ही बालक–बालिक.ाओं के लिए अलग–अलग शौचालय मौजूद है। सर्वेक्षित कुल 89 शालाओं में 37 शालाओं में बालक एवं बालिकाओं के लिए अलग–अलग शौचालय उपलब्ध है, जबकि 8 शालाओं में संयुक्त शौचालय उपलब्ध है। यानी 89 शालाओ में से 45 शालाओं को छोड़कर शेष 44 शालाओं में शौचालय नहीं है। इस तरह हम देखते हैं कि कुल मिलाकर 49 प्रतिशत शालाएं आज भी शौचालय विहीन है।

उपर्युक्त तथ्यों से यह बात स्पष्ट है कि शिक्षा अधिकार कानून लागू होने के बाद से लेकर आज तक सभी शालाओं में बालक एवं बालि.काओं के लिए अलग–अलग शौचालय उपलब्ध नहीं है। अध्ययन के अनुसार जिन 51 प्रतिशत शालाओं में शौचालय उपलब्ध है, उनमें 36 प्रतिशत शौचालयों को छोड़कर शेष शौचालयों की स्थिति अत्यन्त खराब है। यानी या तो उनके दरबाजे टूटे हुए है या उनमें पानी की निकासी रूकी गई है। 48 प्रतिशत शौचालय खराब स्थिति में है और 16 प्रतिशत शौचलयों की स्थिति अत्यन्त दयनीय है, यानी वे इतने जर्जर हैं कि उनका उपयोग करना मुश्किल है। साथ ही कुल उपलब्ध शौचालयों में से 69 प्रतिशत शौचालयों में पानी की सुविधा नहीं है।

मतदाता सूची के पर्यवेक्षण हेतु प्रेक्षकों की नियुक्ति

मतदाता सूची रखे जाने के कार्यक्रम पर निगरानी रखने के लिए मध्याप्रदेश राज्यर निर्वाचन आयोग द्वारा जिला स्त र पर प्रेक्षकों की नियुक्ति की गई है। इस काम में यदि आपको कोई दिक्कदत हो तो आप अपने जिले के प्रेक्षक को फोन कर सकते हैं। यहां प्रस्तुयत है प्रेक्षकों के नाम एवं फोन नंबर।

भोपाल राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा त्रि-स्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन 2014-15 के लिये बनाई जा रही फोटोयुक्त मतदाता सूची के पर्यवेक्षण के लिये प्रेक्षकों की नियुक्ति की गई है। आयोग द्वारा 45 प्रेक्षक नियुक्त किये गये हैं। भोपाल जिले के लिये श्री डी.पी. दुबे को प्रेक्षक नियुक्त किया गया है। इनका मोबाइल नम्बर 98260-51912 है।

प्रेक्षक के नाम, मोबाइल नम्बर और आवंटित जिला इस प्रकार हैं- श्री एल.एन. सोनी (9425369814) मुरैना, श्री ए.के. मान्दलिया (9424019289) श्योपुर, श्री नरेन्द्र सिंह भदौरिया (9425130032) भिण्ड, श्री एस.पी. त्रिवेदी (9425515425) ग्वालियर, श्री आर.के. गोयल (9977346220) शिवपुरी, श्री एस.पी. गुप्ता (9826475966) दतिया, श्री पी.पी. अग्रवाल (9425030148) गुना, श्री तूफान सिंह अहिरवार (9425636569) अशोकनगर, श्री डी.पी. तिवारी (9425012607) उज्जैन, श्री के.पी. सेठिया (9200221323) रतलाम, श्री पी.एस. बग्गा (9425047959) शाजापुर, श्री अनूप तिवारी (9425150438) आगर-मालवा, श्री रामेश्वर गुप्ता (9425057333) मंदसौर, श्री मोती सिंह (9425008160) देवास, श्री वी.के. रमोले (9827978450) सीहोर, श्रीमती गीता मिश्रा (9425637532) विदिशा, श्री जे.एस. मण्डलोई (9425018822) राजगढ़, श्री नरेन्द्र कुमार त्रिवेदी (9425428520) रायसेन, श्री अखिलेन्दु अरजरिया (9425126744) होशंगाबाद, श्री आर.एस. कनेरिया (9425302476) हरदा, श्री एम.एल. कौरव (9425028818) बैतूल, श्री अजित श्रीवास्तव (9407890001) इंदौर, श्री ए.एन. तिवारी (9977003210) धार, श्री एस.के. वशिष्ठ (9826030021) खरगोन, श्री एम.एस. भिलाला (9425093588) खण्डवा, श्री हरिसिंह शेखावत (9425148566) बुरहानपुर, श्री ए.के. सिंह (9407278158) सागर, डॉ. रामानंद शुक्ला (9425140500) टीकमगढ़, श्री शैलेन्द्र खरे (9425150437) पन्ना, श्री भरत चन्द्र शुक्ला (9425437642) छतरपुर, श्री के.डी. मिश्रा (9425439693) दमोह, श्री जे.एन. पाण्डे (9229475437, 9425605586) जबलपुर, श्री जी.पी. कबीरपंथी (9425176961) कटनी, श्री के.सी. मिश्रा (9425323223) नरसिंहपुर, श्री कृष्णमोहन गौतम (9425047345) छिन्दवाड़ा, श्री बी.एस. श्रीवास्तव (9993528333) सिवनी, श्री शरद चन्द्र दुबे (9200001122, 9200011192) बालाघाट, श्री आर.आर. गंगारेकर (9424473728) रीवा, श्री हीरालाल प्रजापति (9425009000) सतना, श्री योगेन्द्र द्विवेदी (9425325551) सीधी, श्री एस.सी. आर्य (9425041601) सिंगरौली, श्री एस.एन. शुक्ला (9425137923) शहडोल, श्री इंदरसिंह मरकाम (8959332350) उमरिया तथा श्री एस.डी. शर्मा (9826975500) नीमच।

प्रेक्षक प्रथम चरण में 19 से 23 अगस्त तक और द्वितीय चरण में 13 से 17 अक्टूबर तक संबंधित जिलों का भ्रमण कर फोटोयुक्त मतदाता सूची की तैयारियों का पर्यवेक्षण करेंगे।

मतदाता सूची तैयारी कार्यक्रम में आंशिक संशोधन

भोपाल त्रि-स्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2014-15 के लिये फोटोयुक्त मतदाता सूची तैयार करने के कार्यक्रम में आंशिक संशोधन किया गया है। यह संशोधन द्वितीय चरण के कार्यक्रम में किया गया है। सचिव राज्य निर्वाचन आयोग श्री जी.पी. श्रीवास्तव ने जानकारी दी है कि नवीन कार्यक्रम के अनुसार मतदाता सूचियों के प्रकाशन के संबंध में संबंधित व्यक्तियों को पूर्व में सूचना भेजना तथा प्रचार-प्रसार करना 16 सितम्बर को और प्राधिकृत कर्मचारियों का प्रशिक्षण एवं सामग्री वितरण 19 सितम्बर को होगा। सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन तथा दावे-आपत्तियाँ प्राप्त करने का कार्य 23 सितम्बर को प्रारंभ होगा। दावे-आपत्तियाँ प्राप्त करने की अंतिम तारीख 15 अक्टूबर है। इनके निपटारे की अंतिम तारीख 24 अक्टूबर है। निराकरण के पश्चात 28 अक्टूबर तक परिवर्धन, संशोधन, विलोपन की पाण्डुलिपि तथा फार्म वेण्डर को डाटा एंट्री के लिये उपलब्ध करवाया जायेगा। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा वेण्डर से प्राप्त चेक लिस्ट की जाँच एवं संशोधन एक नवम्बर तक होगा। वेण्डर द्वारा 5 नवम्बर तक अनुपूरक सूची का मुद्रण कर जिला कार्यालय को दी जायेगी। अनुपूरक सूची 12 नवम्बर तक मूल सूचियों से जोड़ी जायेगी। मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 14 नवम्बर को होगा। इसी दिन से मतदाता सूची विक्रय के लिये उपलब्ध रहेगी।

पंचायत चुनाव

पेज एक से जारी...

मतदाता सूची में आपका नाम है या नहीं, जांच करें

ग्राम पंचायत की मतदाता सूची में आपका नाम है या नहीं, इस बात की जांच जरूर करें। इसके लिए 23 सितम्बर से 15 अक्टूबर के बीच पंचायत मुख्यालय पर जाएं और वहां ड्यूटी पर तैनात अधिकारी से सूची प्राप्त कर उसे पढ़कर देखें।

आप यह देखें कि उसमें आपका नाम है या नहीं और यदि है तो क्या वह सही है? उसमें किसी तरह की कोई गलती तो नहीं है। साथ ही यह भी देखें कि आपका नाम ग्राम पंचायत के सही वार्ड की मतदाता सूची में है या नहीं। इसके लिए आप पंचायत की वार्डवार सूची प्राप्त कर उसे पढ़कर देखें। यदि नाम में कोई गलती है या गलत वार्ड में आपका नाम दर्ज है तो उसके लिए आप वहां तैनात अधिकारी से एक फार्म प्राप्त कर उसे भरकर देवें तथा उसकी पावती (रसीद) प्राप्त करें।

सूची में नाम न मिलने पर क्या करें?

यदि आप पंचायत की मतदाता सूची की जांच करने जाते हैं और उस सूची में अपना नाम नहीं मिलता है तो आप अपना नाम जुड़वाने के लिए एक आवेदन दें। आवेदन का प्ररूप ड्यूटी पर तैनात कर्मचारी के पास उपलब्ध रहेगा तथा वह पूरी तरह निःशुल्क है। आप आवेदन भरकर संबंधित कर्मचारी को देकर उसकी पावती प्राप्त करें। यदि आपके पास उस स्थान के निवासी होने का कोई दस्तावेजी प्रमाण है तो उसकी फोटोकॉपी भी फार्म के साथ जरूर लगा देवें, जिससे निर्वाचन अधिकारियों/ कर्मचारियों को सत्यापित करने में सुविधा होगी।

क्या आपने 1 जनवरी 2014 को 18 वर्ष की उम्र पूरी कर ली है?

पंचायत चुनाव की मतदाता सूची में उन्हीं लोगों का नाम लिखा जाएगा, जिन्होंने 1 जनवरी 2014 को 18 वर्ष की उम्र पूरी कर ली है। इसके लिए आप 23 सितम्बर से 15 अक्टूबर के बीच पंचायत कार्यालय जाकर वहां उपस्थित कर्मचारी से नाम जोड़ने का फार्म ''प्ररूप क'' प्राप्त करें और उसे भरकर उन्हें दें। इस फार्म के साथ उम्र के सबूत के तौर पर अंक सूची की फोटोकॉपी जरूर लगाएं। यदि अंक सूची नहीं हो तो ऐसे किसी दस्तावेज की फोटोकॉपी लगाएं जिससे यह साबित हो कि आपने 18 वर्ष की उम्र पूरी कर ली है। मतदाता सूची में अपना नाम लिखवाने का अधिकार उस गांव में निवास करने वाले सभी महिला, पुरूष एवं थर्ड जेण्डर सभी को है।

नाम जुड़वाने के आवेदन में एक ऐसे मतदाता का गवाह के तौर पर हस्ताक्षर करवाना जरूरी है, जिसका नाम उस सूची में है। फार्म पर उसके हस्ताक्षर के साथ उसका नाम और मतदाता क्रमांक लिखना होगा। ध्यान रहे कि मतदाता सूची में नाम जुड़वाने या उसमें किसी भी तरह का संशोधन का आवेदन आवेदक को स्वयं करना होगा। यानी आपकी तरफ से कोई अन्य व्यक्ति आपका आवदेन प्रस्तुत नहीं कर सकता।

यदि कोई व्यक्ति गांव का निवासी नहीं है!

मतदाता सूची पढ़ते समय यदि आपको किसी ऐसे व्यक्ति का नाम मिलता है, जो गांव में नहीं रहता/रहती है, या उसकी मृत्यु हो चुकी है, तो आप उस व्यक्ति का नाम मतदाता सूची से काटने के लिए आवेदन दे सकते हैं। नाम काटने का आवेदन कोई भी मतदाता दे सकता है। संबंधित अधिकारी द्वारा उसकी जांच के बाद उसका नाम मतदाता सूची से हटा दिया जाएगा।

खास बातें

- 23 सितम्बर से 15 अक्टूबर तक ग्राम पंचायत में मतदाता सूची रखी जाएगी।
- इस अवधि में कार्यालयीन समय (साढ़े दस से शाम पांच बजे के बीच) ग्राम पंचायत जाकर सूची देख सकते हैं।
- कोई भी व्यक्ति मतदाता सूची को पढ़ सकता है, उसमें नामों की जांच कर सकता है।
- सूची पढ़ने, देखने और उसमें नाम जोड़ने या किसी त्रुटि को सुधारने आदि सभी काम पूरी तरह निःशुल्क होंगे।
- ग्रामीण क्षेत्रों के जिन लोगों की उम्र 1 जनवरी 2014 को 18 वर्ष हो चुकी है, वे अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वा सकते हैं।
- नाम जुड़वाने का फार्म संबंधित कर्मचारी से प्राप्त करें, उसे भरकर उन्हें दें और उसकी पावती प्राप्त करें।
- यदि नाम में कोई त्रुटि हो तो उसे भी सुधरवाने के लिए फार्म भरकर दे सकते हैं।
- यदि कोई व्यक्ति गांव में नहीं है, वह दूसरे गांव में रहने लगा है या शहर में रहने लगा है या उसकी मृत्यु हो गई है तो मतदाता सूची से उसका नाम काटने के लिए कोई भी मतदाता फार्म भर सकते है।
- नाम जोड़ने, संशोधित करने या काटने के लिए आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख 15 अक्टूबर है।

अमरगढ़ पंचायत को राष्ट्रीय गौरव ग्रामसभा पुरस्कार

झाबुआ। जिले के पेटलावद विकासखण्ड की अमरगढ़ ग्राम पंचायत को वर्ष 2014 का राष्ट्रीय गौरव ग्रामसभा पुरस्कार दिया गया है।

भारत सरकार ने इस पुरस्कार के रूप में 10 लाख रूपए की राशि ग्राम पंचायत को प्रदान की है। पुरस्कार मिलने पर सरपंच कोलिया अमलियार ने खुशी जाहिर की है।

जमीनी स्तर पर लोकतंत्र का पालन करने और उसे बरकरार रखने के लिए भारत सरकार द्वारा हर वर्ष यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। इसके अंतर्गत ग्राम सभाओं में सहभागिता, मुददे, फैसले और निराकरण से लेकर हर लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर खरी उतरने वाली ग्राम पंचायतों को चुना जाता है।

उल्लेखनीय है कि गत् वर्ष पेटलावद विकास खण्ड की ही ग्राम पंचायत सारंगी और इसके पहले वर्ष 2012 में धार जिले के बदनावर विकासखंड की तिलगारा ग्राम पंचायत को यह पुरस्कार प्रदान किया गया था।

मनरेगा : मजदूरी भुगतान का नया तरीका–2

मस्टर रोल की नई व्यवस्था

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) में व्यापक सुधार करते हुए सरकार द्वारा नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इसके अंतर्गत मजदूरी भुगतान और मस्टर रोल की नई व्यवस्था कायम की गई है। इसी दिशा निर्देश पर केन्द्रित श्रृंखलाबद्ध आलेख में इस बार प्रस्तुत है मस्टर रोल के बारे में नई जानकारी।

संजय राजपूत
संकाय सदस्य, महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास संस्थान, जबलपुर (मध्यप्रदेश)

मनरेगा के नए दिशा निर्देशों के अनुसार मस्टर रोल की नई व्यवस्था कायम की गई है। पहले जहां ग्राम पंचायत में ही मस्टर रोल तैयार किए जाते थे? वहीं अब काम की मांग करने वाले लोगों के नामों के छापे हुए मस्टर रोल जनपद पंचायत द्वारा ग्राम पंचायत को दिए जाएंगे। इस छपे हुए मस्टर रोल को इलैक्ट्रानिक मस्टर रोल कहा जाता है, इसका रिकॉर्ड जनपद पंचायत के कम्प्युटर में उपलब्ध होता है तथा यह ऑन लाईन भी किया जाता है।

परंपरागत मस्टररोल एवं इलैक्ट्रानिक मस्टररोल

परंपरागत मस्टररोल को बिना मजदूरों की सूची के जारी किया जाता है एवं इसे जारी करते समय मस्टररोल उपयोग होने की संभावित तिथि का उल्लेख नहीं होता है। अतः यह स्पष्ट नहीं होता है कि कार्यक्रम अधिकारी द्वारा जारी मस्टररोल का उपयोग ग्राम पंचायत द्वारा कब किया जायेगा एवं इस पर कितने मजदूर कार्य कर रहे हैं। अतः अग्रिम रूप से एम.आई.एस. के माध्यम से मस्टररोल उपयोग की जानकारी प्राप्त नहीं हो सकती। इलैक्ट्रानिक मस्टर रोल से आशय

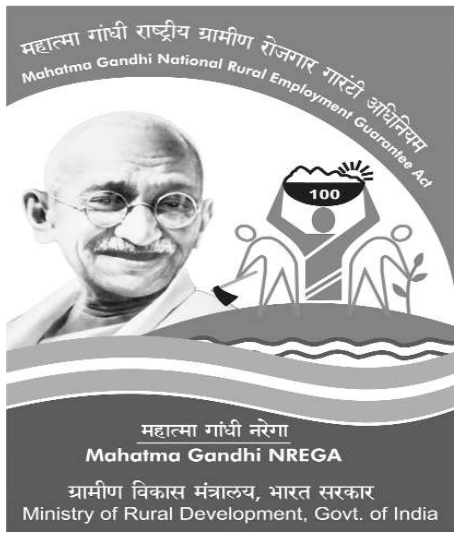

एनआरईजीए सॉफ्टवेयर के माध्यम से तैयार मस्टररोल से है, जिसमें मजदूरों की मांग एवं कार्य के नाम का उल्लेख होगा। इलैक्ट्रानिक मस्टररोल में मजदूरों की रोजगार की मांग एवं मजदूरों के कार्य आवंटन तथा कार्य जिसके विरूद्ध जारी किया जाना है एवं कार्य आवंटन की प्रारंभ दिनांक अंकित होगी। एनआरईजीए सॉफ्टवेयर से इलैक्ट्रानिक मस्टररोल जारी करने के लिये समस्त जानकारी को अग्रिम एन्ट्री एम.आई.एस. में दर्ज करना अनिवार्य है। इस प्रकार से सिस्टम के माध्यम से यह अग्रिम रूप से स्पष्ट हो जायेगा कि कार्यक्रम अधिकारी द्वारा जारी मस्टररोल का उपयोग क्रियान्वयन एजेंसियों (ग्राम पंचायतों) द्वारा कब किया जायेगा एवं मजदूरी करने वाले मजदूर कौन होंगे।

इलैक्ट्रानिक मस्टररोल

इलैक्ट्रानिक मस्टररोल की आवश्यकता इसलिये है, क्योंकि मजदूरी का भुगतान इलेक्ट्रानिक पद्धति से किया जाएगा। अतः यह आवश्यक है कि मस्टररोल पर दर्ज मजदूरों की मांग एवं कार्य आवंटन की जानकारी मस्टररोल पर मूल्याकंन से पूर्व दर्ज हो जाए, अन्यथा मूल्याकंन के बाद मस्टररोल में एन्ट्री करने में विलंब होगा तथा मस्टररोल ट्रेकिंग करना मुश्किल होगा, कि मूल्यांकन कब होना है एवं भुगतान कब होना है?

योजना की मूल मंशा के आधार पर समय सीमा में मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित करने के लिए इलैक्ट्रानिक मस्टररोल का उपयोग अत्यंत आवश्यक है।

इस सिस्टम से मूल्यांकन हेतु अग्रिम जानकारी प्राप्त हो सकेगी तथा समय पर मूल्यांकन हेतु जिला एवं जनपद स्तर से मॉनीटरिंग की जा सकेगी। मस्टररोल जारी करने से पहले एम.आई.एस. में कार्य की तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति दर्ज करना अनिवार्य होगा। इलैक्ट्रानिक मस्टररोल पर केवल उन्हीं मजदूरों के नाम दर्ज हो सकेंगे, जिनके परिवार के 100 दिवस का रोजगार पूर्ण नहीं हुआ है।

इलैक्ट्रानिक मस्टररोल प्राप्ति की प्रक्रिया

ग्राम पंचायत द्वारा रोजगार की मांग करने वाले मजदूरों एवं उनके कार्य आवंटन की जानकारी की एन्ट्री आफलाईन अथवा आन लाईन मोड़ में करनी होगी। इसी प्रकार लाईन विभागों द्वारा क्रियान्वित कार्यो पर लगने वाले मजदूरों की मांग एवं कार्य आवंटन एम.आई.एस. में दर्ज करने की जिम्मेदारी संबंधित ग्राम पंचायत/ लाईन विभाग की होगी।

कार्यक्रम अधिकारी द्वारा जनपद पंचायत स्तर से कार्य आवंटन एवं कार्य प्रारंभ होने की तिथि के अनुसार संबंधित कार्य का मस्टररोल जारी किया जाएगा। जनपद पंचायत द्वारा आफलाईन डाटा एन्ट्री करने की स्थिति में रोजगार की मांग, कार्य आवंटन तथा जारी मस्टररोल की जानकारी अधिकतम दो दिवस में ऑनलाईन करने हेतु अपलोड करना अनिवार्य होगा।

ग्राम पंचायतों द्वारा प्रिंटेड मस्टररोल जनपद पंचायत से प्राप्त किया जा सकता है या आफलाईन एन्ट्री का डाटा दो दिवस में आनलाईन होने पर अथवा सीधे आनलाईन एन्ट्री होने पर तत्काल सीधे संबंधित क्रियान्वयन एजेंसियों द्वारा अपने लागिन से जाकर मस्टररोल प्रिंट किया जा सकता है। इस हेतु जनपद पंचायत से मस्टररोल प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होगी।

विचार और सुझाव

राज्यों के भरोसे पंचायत निकायों का सशक्तिकरण

राहुल सिंह

देश में पंचायत राज व्यतवस्था की स्थाकपना के दो दशक पूरे होने को है और मध्यमप्रदेश सहित कई राज्यों में इसके पांचवें चरण के चुनाव होने हैं। पंचायत के अब तक के अनुभवों में यह बात सामने आई है कि इसके द्वारा लोगों के हाथों में गांव की सत्तात और विकास की जिम्मयदारी तो सौप दी गई है, किन्तुं सरकार द्वारा पंचायत प्रतिनिधियों के सशक्तिकरण की दिशा में विशेष काम नहीं किया गया। साथ ही पंचायत इकाइयों को और भी कई अधिकार दिए जाने की जरूरत है। पंचम के इस अंक में ' 'विचार और सुझाव'' कॉलम में इस मुददे पर एक श्रृखलाबद्ध विमर्श प्रस्तुति कर हैं। यहां प्रस्तुकत है इसी श्रृखला की पहली कडी।

1992 में पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने के लिए संविधान में 73वां संशोधन किया गया। इस संशोधन के तहत अनुच्छेद 243 में पंचायत निकायों के संबंध में प्रावधान किये गये। भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 छ के अनुसार, राज्यों द्वारा पंचायतों को ऐसी शक्तियां व प्राधिकार जैसे भी आवश्यक हो प्रदान किया जाना है, जिससे कि वे स्वशासन की संस्थाओं के तौर पर कार्य करने एवं ग्यारहवीं अनुसूची में सूचीबद्ध विषयों समेत आर्थिक विकास व सामाजिक न्याय की योजनाएं तैयार कर उन्हें क्रियान्वित करने में समर्थ बन सकें।

संवैधानिक ढांचे के अंतर्गत स्थानीय सरकार (स्थानीय निकाय) राज्य का विषय है और राज्य विधायिका अपने-अपने संदर्भ में उपयरुक्त कानून को पास करती है। ऐसे में केंद्र सरकार से अधिक महत्वपूर्ण जिम्मेवारी राज्य सरकार की है कि वह पंचायतों को सशक्त बनाये। जिन राज्यों ने पंचायतों को सशक्त बनाने की इच्छाशक्ति प्रदर्शित की, वहां उनकी स्थिति बेहतर है। केरल, आंध्रप्रदेश, छत्तीसगढ़ जैसे राज्य इसके बेहतर उदाहरण हैं। पंचायत निकायों को सशक्त कर बिल्कुल निचले स्तर पर शासन तंत्र को सक्रिय किया जा सकता है, जिससे गांव, पंचायत के लोग सीधे तौर पर जुड़े होते हैं। जाहिर है इस तरह की कोशिशों का लाभ विकास में मिलता है।

पंचायती राज मंत्री वी किशोर चंद्रद्रेव ने एक बार संसद में अपने जवाब में कहा था = पंचायत राज्य से संबंधित विषय हैं, पंचायती राज मंत्रालय के पास कर्मी, कोष व कार्य के हस्तांतरण के लिए राज्य व केंद्रशासित प्रदेशों में प्रोत्साहन देने के लिए पंचायत सशक्तिकरण एवं जवाबदेही प्रोत्साहन स्कीम (पीइएआइएस) नाम की एक योजना है. पंचायती राज मंत्रालय एक तरह से राज्य सरकारों के परामर्शदाता के रूप में ही कार्य करता है.

पिछले साल एक मार्च 2013 को लोकसभा में सांसद हरिन पाठक व पी करुणाकरन ने केंद्रीय पंचायती राज मंत्री से एक लिखित सवाल पूछा था - पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही केंद्र प्रायोजित योजनाओं का ब्यौरा क्या है और इस बारे में राज्यवार व संघ राज्य क्षेत्र वार क्या उपलब्धियां अर्जित की गयी हैं? इस सवाल के जवाब में केंद्रीय मंत्री वी किशोर चंद्र देव ने कहा कि पंचायती राज संस्थाओं के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से कार्यान्वित की जा रही कोई भी केंद्र प्रायोजित योजना पंचायती राज मंत्रालय में नहीं है. यह मंत्रालय गैर-बीआरजीएफ जिलों में क्षमता निर्माण एवं अवसंरचना विकास हेतु राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजना तथा पंचायती राज संस्थाओं की ई-सक्षमता के लिए ई-पंचायत का कार्यान्वयन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के माध्यम से करता है। मनरेगा जैसे महत्वाकांक्षी कार्यक्रम के तहत चलने वाली योजनाओं पर पंचायतों का नियंत्रण होता है, जो ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन ही आता है। मनरेगा अधिनियम की धारा 16 (1) में कहा गया है कि इस स्कीम के अंतर्गत ग्रामसभाओं व वार्ड सभाओं की सिफारिशों के अनुसार ग्राम पंचायत क्षेत्र में परियोजनाओं की पहचान एवं ऐसे कार्यो के निष्पादन व पर्यवेक्षण के लिए जवाबदेह ग्राम पंचायतें होती हैं। धारा 13 (1) के अनुसार, जिला, मध्यवर्ती एवं ग्राम स्तरों पर पंचायतें अधिनियम के अंतर्गत बनायी गयी स्कीमों के नियोजन व कार्यान्वयन के मुख्य प्राधिकारी होती हैं। लेकिन इससे इतर सरकार मानती है कि दूसरे कार्यक्रमों में भी पंचायतों की भागीदारी व उसके हस्तक्षेप को बढ़ाने की जरूरत है।

पंचायती राज के इतिहास और इसकी वर्तमान स्थिति को देश स्तर पर हम देखें, तो साफ-साफ दिखता है कि पंचायती राज संस्थाओं के कई स्तर, कई मॉडल हैं। इसकी वजह देश के अंदर कई सभ्यताओं एवं संस्कृतियों का पाया जाना है। पंचायत उन सभ्यताओं एवं संस्कृतियों की पहचान है, ये व्यवस्था निर्माण के आधार के साथ-साथ स्वावलंबन, आत्मनिर्भरता और स्वतंत्रता के प्रतीक रहे हैं। भारत की लगभग 70 प्रतिशत आबादी गांवों में रहती है। यह आबादी ग्रामसभा की सदस्य है। इसीलिए ग्रामसभा को देश के सबसे ताकतवर सदन का दर्जा दिया गया, लेकिन पंचायत की स्थापना जिस अवधारणा के साथ की गयी थी, उसे पूरी तरह से समावेशित नहीं किया जा सका है।

पंचम्

36, ग्रीन एवेन्यू चूना भट्टी कोलार रोड, भोपाल (म.प्र.)

सदस्य का नाम ____________________

वर्तमान पद ____________________

ग्राम पंचायत का नाम ____________________

ग्राम ____________________

पोस्ट ____________________

तहसील ____________________

जिला ____________________

राज्य ____________________

सदस्यता राशि का ब्यौरा

◆वार्षिक-80 रु. ◆द्विवार्षिक-150 रु. ◆त्रिवार्षिक-200 रु.
◆पंचवार्षिय-400 रु. ◆ आजीवन-5000 रु.

कृपया हमारी ग्राम पंचायत/पुस्तकालय/मुझे पंचायतों एवं ग्रामीण विकास का प्रमुख समाचार पत्र पंचम् की सदस्यता प्रदान कर नियमित रूप से उक्त पते पर भेशने की कृपा करें। सदस्यता राशि नगद/मनी आर्डर/चेक/डिमांड ड्राफ्ट द्वारा राशि रुपये (अंकों में) ....
(शब्दो में)..
.... दिनांक .... संलग्न है।
पावती भेजने की व्यवस्था करें। हस्ताक्षर
स्थान: .... नाम एवं पता
दिनांक ....

आपकी पंचायत से संबंधित लेख, रिपोर्ट और खबरें आमंत्रित

'पंचम' पंचायती राज जन-प्रतिनिधियों का अपना समाचार पत्र है। इस समाचार पत्र में मध्य प्रदेश पंचायती राज एवं ग्राम स्वराज से जुड़ी समस्याएं, सुझाव, प्रमुख योजनाओं एवं ग्राम विकास से संबंधित प्रमुख जानकारियों के साथ पंचायती राज के सशक्तिकरण करने कि दिशा में जन-प्रतिनिधियों की भूमिका, जिम्मेदारी, चुनौतियां, उनके द्वारा किये गये प्रयासो को प्रमुखता से प्रकाशित की जाती है ताकि सामुदायिक विकास कार्यो में सहभागी निर्णय प्रक्रिया के द्वारा शासन-प्रशासन में पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित किया जा सके। आप भी अपने कार्य क्षेत्र में जन प्रतिनिधियों को अपने विचार रखने/लिखने के लिये प्रेरित कर सकते हैं अथवा उनसे बातचीत के आधार पर आप स्वंय लिख कर माह के 5 तारीख तक फोटोग्राफ के साथ हमें अवश्य भेज दें ताकि समुचित स्थान मिल सके।

आपके सवाल व समाधान

पिछले 16 सालों से यह अनुभाव हुआ है कि प्रदेश की पंचायत और प्रतिनिधियों से जुड़ी कई कठनाईयों होती हैं जिसका समाधान स्थानीय स्तर पर नही हो पा रहा है अपने अधिकारों की एवं शासकीय आदेश निर्देश की शानकारी सुलभ नही हो पाती है। जिसके कारण आम आदमी से लेकर पंचायत तक दर-दर भटकना पड़ता है। इस समस्या का हल खोजने के पंचम आपके सवाल व समाधान के नाम से एक साझा मंच आपके सामने प्रस्तुत रहा है। जिसमें आप अपने सवाल हमें निर्धारित प्रारूप में भेज सकते हैं। जिसके जवाब हम संबंधित विभाग के अधिकारी से पूछेंगे और उनके जवाबों को अगले अंको में प्रकाशित करते रहेंगे। आपसे अपेक्षा है कि आगे बढ़कर सुशासन को प्रभावी बनाने के इस साझे मंच का उपयोग करेंगे।

सवाल व समाधान

नाम..
.... ग्राम पंचायत का नाम ....
जनपद पंचायत .... जिला ....

अपना सवाल इस पते पर भेजें-
36, ग्रीन एवेन्यू चूना भट्टी कोलार रोड, भोपाल (म.प्र.)

सरपंच सुशीला ने बदली गांव की सूरत

अन्य राज्यों से

कोरबा। आठवी कक्षा तक शिक्षा प्राप्त सरपंच की लीडरशिप और बेहतर मैनेजमेंट ने उसके गांव को विकास के ऊंचे पायदान पर ला खड़ा किया है। शासन की योजनाओं का समय पर सही-सही क्रियान्वयन से गांव का पूरा नक्शा ही बदल गया है। लगभग डेढ़ करोड़ रूपए की लागत के विकास कार्य विगत् कुछ वर्षों के भीतर ही पूर्ण करवाए गए हैं। पहले कई परिवार जो शौचालय नहीं होने से बाहर शौच को जाते थे, अब उनके घरों में शौचालय बन चुके हैं। स्वच्छता के लिए गांव का नाम निर्मल ग्राम पुरस्कार हेतु भी प्रस्तावित किया गया है।

छत्तीसगढ़ राज्य के कोरबा जिले की जनपद पंचायत पाली अंतर्गत ग्राम धौराभांठा, जिसकी आबादी 2500 के आसपास है। कुल 17 वार्डों में फैले ग्राम धौराभाठा में शासन की महत्वपूर्ण योजनाओं का क्रियान्वयन जमीनी स्तर पर नजर आता है। यहां की सरपंच सुशीला जगत्, उपसरपंच शांतिदेवी सहित पंचों की दूरदर्शी सोच ने गांव का कायाकल्प कर दिया है। सरपंच ने बताया कि लगभग डेढ़ करोड़ रूपए के विकास कार्य उसके कार्यकाल में पूर्ण हुए हैं। 2500 की जनसंख्या वाले इस गांव में लगभग पांच सौ बीपीएल कार्डधारी है।

इस ग्राम पंचायत में 188 पेंशन के हितग्राही, 42 इंदिरा गांधी वृद्वावस्था पेंशन के हितग्राही और मनरेगा अंतर्गत 420 जॉबकार्ड धारी है। सुखद सहारा के 52 और सामाजिक सुरक्षा के 114 हितग्राही है, जिन्हें योजनाओं का लाभ प्राप्त होता है। ग्राम में 55 आवासहीन परिवारों को इंदिरा आवास प्रदान किए गए हैं। 6 आंगनबाड़ी, 4 प्राथमिक शौचालय, 1 मिडिल स्कूल वाले इस गांव में लगभग 80 प्रतिशत घरों में शौचालय निर्माण हो चुका है। सरपंच सुशीला जगत का कहना है कि शौचालय का उपयोग सभी कर रहे हैं और आने वाले दिनों में हमारा गांव सम्पूर्ण रूप से स्वच्छ होकर निर्मल ग्राम बन जाएगा। गांव में सांसद, विधायक मद, प्रभारी मंत्री मद, उत्तरक्षेत्र सरगुजा विकास प्राधिकारण परियोजना मद, रोजगार गारंटी, तेरहवें वित्त आयेाग, मूलभूत योजना, बीआरजीएफ आदि के माध्यम से पुलिया निर्माण, मुक्तिधाम, सामुदायिक भवन, स्वागत् द्वार, मंच निर्माण, भूमि समतलीकरण, पहुंच मार्ग, कुए, हैण्डपंप आदि की सुविधा मुहैया कराई गई है। गांव को निर्मल बनाने की दिशा में शौचालय निर्माण के साथ-साथ जगह-जगह कूड़ेदान, नाली निर्माण, स्नानागार का निर्माण करवाया गया।

खास बातें

- अब तक डेढ़ करोड़ रूपए की लागत के विकास कार्य करवाए गए।
- ग्राम पंचायत में 188 पेंशन के हितग्राही, 42 इंदिरा गांधी वृद्वावस्था पेंशन के हितग्राही और मनरेगा अंतर्गत 420 जॉब कार्ड धारी है।
- 80 प्रतिशत घरों में शौचालय का निर्माण हो चुका है तथा लोग उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। शेष घरों में शौचालय निर्माण जारी है।
- जगह-जगह कूड़ेदान, नाली निर्माण, स्नानागार का निर्माण करवाया गया।
- गांव में पुलिया, मुक्तिधाम, सामुदायिक भवन, स्वागत् द्वार, मंच निर्माण, भूमि समतलीकरण, पहुंच मार्ग, कुए, हैण्डपंप आदि की सुविधा मुहैया कराई गई है।

हेल्पलाईन

हेल्पलाईन पर पूछे, समझे, और उपयोग करे
आपकी मदद के लिये तत्पर हेल्पलाईन नं. 0755-2467625, 4993147
पंचायत राज महासंघ सचिवालय
36, ग्रीन एवेन्यु, चूना भट्टी कोलार रोड, भोपाल, मध्य प्रदेश

स्वामी एवं प्रकाशक पंचायती राज महासंघ के लिए सचिव पंचायती राज महासंघ द्वारा प्रकाशित एवं केपीटल प्रिंटर्स ए-1, प्लाट नं 7 प्रेस काम्पलेक्स एम.पी. नगर, जोन-1, भोपाल से मुद्रित एवं 36, ग्रीन एवेन्यू चूना भट्टी कोलार रोड, भोपाल (म.प्र.) से प्रकाशित। संपादक- लता गुडडू वानखेड़े, कार्यकारी संपादक-राशेन्द्र बंधु, संपादकीय सलाहकार मंडल, ब्रजकिशोर डण्डोतिया, चतुरेश सेन, श्याम श्रीवास्तव, आशुतोष रजक। मुद्रित सामग्री के चयन के लिए पी.आर.बी एक्ट के तहत जिम्मेवार, न्यायिक क्षेत्र-भोपाल। सहयोग- समर्थन, भोपाल (म.प्र.) फोन नं. 0755-2467625, 4993147